

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 11.06.2014 को आयोजित 121वीं बैठक के कार्यवृत्त

बैठक की अध्यक्षता श्री एस.एस.मुन्दडा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा की गई। बैठक में श्री खेमराज चौधरी, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान सरकार, श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, राजस्थान सरकार, श्री सिद्धार्थ महाजन, विशेष सचिव (वित्त) राजस्थान सरकार, डॉ. सत्येन डेविड, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारिगण, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय से उनके उद्बोधन हेतु आग्रह किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में देश के आर्थिक परिवेश पर सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के दौरान भी आर्थिक विकास की गति मन्द बनी हुई है। औद्योगिक विकास लगातार कमजोर रहने की सम्भावना है। हालाँकि Current account Deficit (CAD) घटकर GDP का 1.7% रह गया है तथा अप्रैल, 14 में निर्यात में वृद्धि तथा आयात कम होने की बदौलत व्यापार घाटा (Trade Deficit) कम रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 03.06.14 से Scheduled Commercial Bank का SLR 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 22.50% किये जाने से बैंको द्वारा और अधिक वित्त पोषण किये जाने की सम्भावना बढी है तथा प्रोजेक्ट्स लगने में गति आने की सम्भावना है।

उन्होंने राजस्थान में बैंको के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते हुये बताया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में सभी पैरामीटर्स तहत सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में 536 नई बैंक शाखाएँ खोली गयी है तथा कुल व्यवसाय रु.418000 करोड से अधिक रहा है, बैंक व्यवसाय में वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि 12.51% रही है। राज्य में कुल बैंक जमाएं 222376 करोड तथा कुल अग्रिम रु.195990 करोड रहा है। साख-जमा अनुपात 92.76% रहा, जो राज्य में कार्यरत बैंको के उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है। डूंगरपुर तथा राजसमन्द जिलों में साख-जमा अनुपात 50% से बढाने के लिये इन जिलों में कार्यरत सभी बैंको से साख-जमा अनुपात में आशातीत वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने की अवश्यकता पर जोर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि **वार्षिक साख योजना** के तहत उपलब्धि 111% रही तथा कृषि क्षेत्र में यह उपलब्धि 107% रही। मार्च, 2014 को राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि तथा कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिमों का स्तर निर्धारित बैंचमार्क से कहीं अधिक रहा।

उन्होंने राज्य में कृषि ऋणों में 29.20 % वृद्धि पर संतोष प्रकट किया तथा एग्रीकल्चर इनवेस्टमेंट क्रेडिट जैसे Soil & Water Conservation, Horticulture Plantation, फसल कटाई (Post Harvest Activities) इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को Rupay Card जारी करने पर बल दिया।

अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तहत राज्य में किये गये कार्य को सराहनीय बताया । उन्होंने सदन को सूचित किया कि राज्य में 31.03.2014 तक कुल 9326 गांवों को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तहत कवर किये जाने के लक्ष्यों के पेटे 9836 गांवों को कवर किया गया जो कि सराहनीय है । राज्य में वित्तीय समावेशन को सार्थक बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिये कुल 54 FLC केन्द्रों की स्थापना की गयी है जो कि सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता उपलब्ध करवाने में सार्थक भूमिका निभा रही है। उन्होंने आमजन को वित्तीय मसलों पर बेसिक जानकारी के माध्यम से साख सृजन के योगदान को महत्वपूर्ण बताया । इसके लिये वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के विस्तार के लिये प्रयासों में ओर गति देने हेतु प्रत्येक स्तर से आवश्यक पहल करने की आवश्यकता बताई ।

अध्यक्ष महोदय ने राज्य में कार्यरत सभी 6269 शाखाओं के On Site ATM स्थापित किये जाने के कार्य को गति प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऑन साइट ए.टी.एम. स्थापित करने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया ।

उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि राज्य में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम तहत विभिन्न योजनाएं यथा राजस्थान रुरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट, एमपावर, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित SHGs, MOF द्वारा चालू की गयी राज्य के 4 पिछड़े जिलों के लिये महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम इत्यादि लागू किये गये हैं, किंतु अब इन सभी योजनाओं को NRLM जैसी व्यापक योजना में समाहित किये जाने की आवश्यकता है । उन्होंने गुणवत्तापरक SHGs के गठन, उनके बैंक लिंकेज व समय पर क्रेडिट लिंकेज के लिये सभी बैंकों से आग्रह किया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋणों के वर्तमान 7.81% के स्तर में वृद्धि हेतु प्रयास किए जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों का 15% के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु सभी सदस्य बैंकों से आग्रह किया ।

राज्य में बड़ी संख्या में बकाया RODA Cases के मध्यनजर सरकारी विभागों को वसूली में बैंकों को सहयोग देने पर बल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर आज की बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी। अंत में उन्होंने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) सदन द्वारा विगत 120 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:

(1) To facilitate banks to create online charge on agriculture land for extending agriculture credit to farmers:-

कृषि भूमि पर बैंक का प्रभार Apnakhata.com में ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा बैंकों को उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया गया ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 121 वीं बैठक के कार्यवृत्त

(पृष्ठ क्र. 2 / 15)

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

- (ii) Setting up of brick & mortar branch/6days ultra small branch in all FI villages having population>5000 in under banker district & > 10000 in other district-

सदन को अवगत करवाया गया कि शाखाएं 6/Days USB खोलने के लिये चिन्हित किये गये 138 केन्द्रों पर शाखाये या 6 Days USB खोल दी गई है।

- (iii) Sub Service Area Approach- Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSC.

राज्य की सभी 9091 ग्राम पंचायत में 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 5869 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा/बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके हैं।

बैंको को आवंटित शेष 3537 unbanked SSAs को शीघ्र कवर करने का आग्रह किया गया ।

- (iv) Installation of Onsite ATM:

राज्य में कार्यरत 6269 शाखाओं में से 3411 शाखाओं के onsite ATM है।

अध्यक्ष महोदय ने शेष रही शाखाओं के Onsite ATM स्थापित करने के लिये सभी बैंकों को आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैंक)

- (vi) Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: राज्य में 31.03.2014 को कुल 6269 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 536 शाखाओं में से 430 (80%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गईं।

जमाएँ व अग्रिम: 31.03.2014 को राज्य में कुल जमाएँ रुपये 222376 करोड़ तथा कुल अग्रिम रुपये 195990 करोड़ रहा ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण रुपये 108859 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 55.54% रहा । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में YOY वृद्धि 25.30% रही। वहीं कृषि में 17.92%, सूक्ष्म व लघु क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 34.64% रही

राज्य में कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 29.20%, कमजोर वर्ग को 15.39% तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पदत कुल ऋणों का अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण 7.81% रहा ।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): मार्च 2014 को राज्य में साख जमा अनुपात 92.76% रहा। सिरोही, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, तथा करौली जिलों का साख जमा अनुपात 50% से 60% के बीच रहा, वहीं दो जिलों यथा झुंझुनू व राजसमन्द में यह अनुपात 50% से नीचे रहा है।

महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दो जिलों में साख जमा अनुपात में वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष उपलब्धि 111% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 107%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 220%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 58% की उपलब्धि दर्ज की गई।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा कुल कृषि ऋणों में 30-34% हिस्सा सावधि कृषि ऋणों (Long Term Agri.Loans) का रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया के ऐसा करके आस्ति सृजन में अधिक योगदान किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के सन्दर्भ में उल्लेख किया गया कि कृषि में Investment Credit नहीं बढ़ने में कृषि भूमि का छोटे-छोटे भागों में विभाजित हो जाना एक कारक पाया गया है।

इस पर मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा राज्य में छोटी-छोटी गतिविधियों यथा Dairy, Horticulture, Watershed programme इत्यादि पर अधिक ध्यान पर जोर दिया गया।

उन्होंने अंतिम तिमाही में लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाय नियमित आधार पर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करने की आवश्यकता बल दिया।

एजेण्डा क्रमांक - 3-

सदन को सूचित किया गया कि :

- राज्य में कोई भी अन बैंकड जिला/ ब्लॉक नहीं है व 247 Blocks में से 198 Blocks अण्डर बैंकड है। Under Banked districts के 5000 व अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिये चिन्हित किये गये सभी 138 केन्द्रों पर शाखाएं/ 6Days USB खोल दी गई है।
- राज्य में कुल 35085 Unbanked छोटे गांव चिन्हित किये गये हैं जिनमें बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिये रोडमैप RBI को प्रस्तुत किया गया है। रोडमैप अनुसार मार्च 2014 तक कुल 9326 गांवों को कवर किये जाने के पेटे 9836 गांवों को कवर कर किया।

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs : Sub Service Area Approach:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सदन को अवगत करवाया कि MOF GOI के निर्देशानुसार जनसंख्या व दूरी के आधार पर राज्य में कुल 9091 ग्राम पंचायतों में 9406 SSAs चिन्हित किये गये हैं तथा बैंकों को आवंटित किये गये हैं। जिनमें से 5869 SSAs अब तक कवर किये जा चुके हैं।

- संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अनुरोध किया गया कि शेष रहे 3537 SSA मे भी अतिशीघ्र बैंकिंग आउटलेट (शाखा/कियोस्क/मोबाइल वैन इत्यादि) स्थापित करने की कार्यवाही की जाये ।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

Development of MIS reporting System for creation of SSAs and monitoring progress in extension of banking facilities in the SSAs:

MOF GOI द्वारा SSA की पुर्ण जानकारी हेतु विकसित Software में SSA Coverage की जानकारी अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अद्यतन रखी जानी है । 133 जिलों मे से 31 जिलो की SSA Coverage की सूचना अद्यतन होना रिपोर्ट किया गया व दौसा व वानागौर जिलों की सूचनाये अद्यतन लम्बित होना सूचित किया गया । बैठक मे इन अग्रणी जिला प्रबन्धको के नियंत्रक बैंकों द्वारा डाटा शीघ्र अद्यतन किये जाने के लिये आश्वस्त किया गया ।

- संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा SSA Coverage की सूचनाये MIS PORTAL पर समय पर अद्यतन के लिये DCC Convenor Banks को अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करने हेतु आग्रह किया गया ।

Roadmap for providing banking services in villages<2000 -

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस विषय मे हुई प्रगति कि जानकारी सदन को दी गयी :-

2000 से कम आबादी वाले 35085 गांवो मे से चालू वित्त वर्ष के 9326 गांवो को कवर करने के लक्ष्यो के पेटे मार्च 2014 तक 9836 गांवों को बैंकिंग आउटलेट (शाखा/कियोस्क/मोबाइल वैन इत्यादि) के माध्यम से कवर किये जाने से अवगत करवाया गया।

उन्होंने बताया कि बैंकों के नियंत्रकों(Controllers) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वित्तीय समावेशन के तहत खोले गये बचत खातों मे निर्धारित अधिविकर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ।

Urban Financial Inclusion:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन की तरह शहरी वित्तीय समावेशन पर कार्य किये जाने पर बल दिया गया व शहरी गरीब, विस्थापित व्यक्तियों इत्यादि को बैंकिंग सेवा के दायरे मे लाने हेतु अरबन कियोस्क स्थापित करने जैसी कार्यवाही शीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

Uploading of GIS data:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि GIS Portal पर बैंकों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी यथा नई शाखा/करेंसी चेस्ट, नियुक्त बीसी. एजेण्ट, नए स्थापित ए.टी.एम. इत्यादि अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अपडेट रखनी है। नियमित अपडेशन के लिये जिले मे स्थित सभी बैंको द्वारा उक्त जानकारीयां अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाया जाना अहम है।

डी.सी.सी. संयोजक बैंकों से अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा GIS Portal पर मासिक आधार पर सूचनाओं को अद्यतन करवाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

Setting up of clearing arrangement/Clearing House at Centres which have 3 or more Bank Branches:

राज्य में चिन्हित किये गये 229 केन्द्रों में से मार्च, 2014 को 107 केन्द्रों पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा उपलब्ध करवा दिये जाने से सदन को सूचित किया गया।

Sub-Committee Meeting of SLBC on Financial Inclusion:

राज्य में वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा के लिये SLBC की सब कमेटी की मीटिंग महाप्रबन्धक(RPCD) भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.14 को जयपुर में आयोजित की गयी।

इस बैठक में चर्चा के दौरान उभरकर आये मुख्य बिन्दु :-

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तहत प्रस्तुत किये गये FIP प्लान अनुसार गाँवों में बैंकिंग सुविधायें पहुंचाने के लिये कवर किया जाये। MSE क्षेत्र को रु.10 लाख तक के Collateral Free ऋण उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये। प्रायोजित बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों को पर्याप्त Support दिया जाये।

प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा भामाशाह योजना पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। योजना तहत सभी नकद भुगतान EBT Scheme अंतर्गत सीधे लाभार्थी के बैंक खातों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित होना सूचित किया गया।

उपरोक्त सब-कमेटी मीटिंग पर चर्चा के दौरान श्री सिद्धार्थ महाजन, विशेष सचिव(वित्त)राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जुलाई से अक्टूबर 2014 के दौरान “आधार लिंकिंग” के लिये समग्र राज्य में कैम्प आयोजित किये जाने से सूचित किया गया व इन कैम्पों लाभार्थियों को बैंक खाता खोलने हेतु बैंकों की सहभागिता पर जोर दिया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा मत व्यक्त किया गया कि वर्तमान SSA Approach द्वारा ही भामाशाह योजना का क्रियावयन किया जा सकता है, अतः योजना के क्रियावयन के लिये बैंकिंग पार्टनर जैसे प्रयास वित्तीय समावेशन (FIP) के लिये बैंकों द्वारा तैयार किये गये Platform व प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एजेण्डा क्रमांक - 4:

Agriculture Credit Flow: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 29.20% रहा।

अध्यक्ष महोदय ने एग्रीकल्चर इनवेस्टमेंट क्रेडिट जैसे Soil & Water Conservation, Horticulture Plantation, फसल कटाई बाद की गतिविधियों (Post Harvest Activities) इत्यादि पर विशेष बल देने की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 121 वीं बैठक के कार्यवृत्त

आवश्यकता बतायी व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को Rupay Card जारी करने पर बल दिया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि कृषि वित्त पोषण की स्थिति व कृषि ऋण प्रवाह तथा 2014-15 के लिये रोडमैप पर चर्चा हेतु नाबार्ड के मुख्यालय मुम्बई में दिनांक 15.04.2014 को महाप्रबन्धक,(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कृषि ऋण), सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यरूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिये इनवेस्टमेंट क्रेडिट को बढ़ावा दिया जाये व आस्ति सृजन के लिये कृषि व कृषि सम्बद्ध सहायक गतिविधियों के लिये तीन से पांच potential गतिविधियों के लिये बैंकिंग प्लान तैयार किया जाये । क्रेडिट ग्रोथ के लिये विशेषतौर से छोटे/लघु किसानों को अधिक से अधिक कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाये, सभी पात्र KCC खाता धारको को Rupay Card जारी करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाये।

ग्रामीण गोदाम (Rural Godown) योजना :

मुख्य महाप्रबन्धक,नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया कि योजना तहत बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदान दावे सामान्यतया अपूर्ण पाये जाते हैं,जिससे अनुदान स्वीकृति/वितरण में अनावश्यक देरी होती है । उन्होंने इन दावा फार्मों को Check List के अनुसार पूर्ण करके नाबार्ड को प्रेषित करने का सभी बैंकों से आग्रह किया ।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा मत व्यक्त किया गया कि ग्रामीण गोदाम योजना तहत निर्मित गोदामों के पूर्ण Utilisation के लिये वेयरहाउस कॉरपोरेशन/सरकारी निगमों जैसी संस्थाओं से Tie up arrangement किये जाने के लिये सरकार को पहल करनी चाहिये ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा Rajasthan Agricultural Credit Operations(Removal of Difficulties) Act,1974 तहत दायर मामलों में वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित कर वसूली में सहयोग करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया ।

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): योजना अंतर्गत 2013-14 के लिए अरबन सैल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम(USEP) तहत 3900 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य बैंको को दिये गये जिसके पेटे कुल 6831 में स्वीकृतियां जारी की गयी जो कुल लक्ष्यों की 175% रही व 4596 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया जो कुल स्वीकृतियों का 67% रहा ।

UWSP Component अंतर्गत 10 आवेदन पत्र प्रायोजित किये गये जिन सभी पर स्वीकृति जारी कर ऋण वितरण किया गया ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):

सदन को अवगत करवाया गया कि योजना अंतर्गत 2013-14 तहत कुल रु.5554.14 लाख(नोडल एजेंसी द्वारा संशोधित) मार्जिन मनी लक्ष्य के पेटे कुल रु.7443.52 लाख की मार्जिन मनी वाले 2899 प्रोजेक्ट्स के लिये स्वीकृतिया जारी की गयी जो कुल लक्ष्यो की 134% रही तथा 1263 स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया जिनमे 4056.62 लाख की मार्जिन मनी समाहित रही । कुल स्वीकृत मामलों में से 43.57% में ऋण वितरण किया गया । नोडल शाखाओं में अनुदान राशि की अनुपलब्धता के कारण 54% वितरण मामलों में मार्जिन मनी उपलब्ध करवायी जा सकी ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा PMEGP तहत 31.03.14 तक स्वीकृत व 31.05.14 तक वितरित मामलो में मार्जिन मनी राशि जारी करने के लिये नोडल शाखाओ को पर्याप्त फण्ड शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने हेतु नोडल एजेंसी से आग्रह किया गया ।

प्रतिनिधि नोडल एजेंसी (KVIC) द्वारा बैंको की नोडल शाखाओं के पास मार्जिन मनी जारी करने के लिये लम्बित मामलो के निस्तारण के लिये आवश्यक राशि शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने का आश्वासन दिया गया ।

Special Central Assistance Scheme SC/ST (POP)

योजना अंतर्गत 2013-14 के लिए 30620 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य बैंको को दिये गये जिसके पेटे कुल 19619 में स्वीकृतियां जारी की गयी जो कुल लक्ष्यों की 64.07% रही ।

National Rural Livelihood Mission:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को सूचित किया गया इस योजना के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पत्र क्रमांक RPCD.GSSD.CO.NO.81/09.01.03/2012-13 दिनांक 27.06.13 द्वारा जारी गाईडलाईंस को एस.एल.बी.सी. द्वारा पहले ही अपने पत्र क्रमांक रा.अ./एस.एल.बी.सी./2013-14/377 दिनांक 24.09.13 के माध्यम से सभी सदस्य बैंको तथा अग्रणी जिला प्रबन्धको को अनुपालनार्थ प्रेषित किया जा चुका है।

उन्होंने योजना के चालु वित्त वर्ष 2014-15 में प्रभावी रूप से क्रियांवित किये जाने पर बल दिया ।

National Urban Livelihood Mission (NULM):

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को सूचित किया गया कि 01.04.2014 से राज्य में SJSRY की जगह NULM (National Urban Livelihood Mission) लागू की गयी है जिसकी Ministry of housing & urban poverty alleviation, भारत सरकार, द्वारा जारी विस्तृत गाईडलाईंस सभी सदस्य बैंकों को 23.05.14 को भेज दी गयी है । पात्र लाभार्थियों से प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप/फार्मेट Local Self Department, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित(Developed) किया गया है जिसे सदस्य बैंको को भेजा गया है तथा इस प्रारूप/फार्मेट पर उनकी टिप्पणी/विचार चाहे गये हैं जिससे कि SLBC स्तर

पर इस फार्मेट के अनुमोदन के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सके ।

सभी बैंको से अपनी टिप्पणी/विचार SLBC को अतिशीघ्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया ।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

Self Help Groups (SHG): सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में 14539 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज से तथा 9513 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,इंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2013-14 के लिये 3600 SHGs का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कुल 3819 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 3873 समूहों का बैंक लिंकेज किया गया है।

नोडल विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा अवगत करवाया गया कि स्वयं सहायता समूह के लिये राज्य में संचालित 50% ब्याज अनुदान योजना चालू वित्त वर्ष 2014-15 में भी चालू रहेगी ।

मुख्य महाप्रबन्धक , नाबाई द्वारा sHG SHSHG विकास के लिये जागरूकताG एवं प्रशिक्षण की महती आवश्यकता पर बल दिया गया ।

शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर (LP & SHG),राजस्थान सरकार द्वारा अवगत करवाया गया कि SHG विकास के लिये जागरूकताG पैदा करने तथा प्रशिक्षण के लिये बैंकर्स एवं इस फील्ड से जुड़े कर्मचारियों को आन्धा प्रदेश में SHG कार्यक्रम के विकास से रुबरु करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा Field Visit कार्यक्रम प्रायोजित किये जा रहे हैं।

उन्होंने SHG की जिला स्तरीय उप समिति की नियमित बैठक आयोजित करने पर भी बल दिया ।

Credit Flow to Minority Community: सदन को अवगत करवाया गया कि 2013-14 के दौरान राज्य में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत 7.81% रहा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त किये जाने वाले ऋणों में आवश्यक बढोतरी के लिये दोगुने प्रयास किये जाने व भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋणों के 15% लक्ष्य को प्राप्त किये जाने पर बल दिया गया ।

एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013-14 के लिए 15950 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के पेटे कुल 28783 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वर्ष 2013-14 के दौरान सैटलमेंट दर 66% रहने से सूचित किया गया।

महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि फील्ड विजिट के दौरान प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में RSETI/RUDSETIs द्वारा Offsite प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा रहे हैं ।

स्टेट प्रोजेक्ट कॅॉर्डिनेटर द्वारा सूचित किया गया कि MORD के दिशानिर्देशानुसार RSETI/RUDSETIs को Onsite(In Campus) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हैं किंतु विशेष परिस्थितियों में LAC में अनुमोदन पश्चात Offsite प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किये जा सकते हैं।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा RSETI/RUDSETIs द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वयं का काम धन्धा/व्यवसाय चालू करने के लिये क्रेडिट लिंकेज हेतु आग्रह किया । क्रेडिट लिंकेज RSETI/RUDSETIs प्रायोजित बैंक द्वारा ही नहीं बल्कि किसी अन्य बैंक शाखा द्वारा भी किया जा सकता है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अलवर तथा भरतपुर जिले में RSETI/RUDSETIs के भवन निर्माण के लिये भू-आवंटन तथा सीकर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर व पाली जिलों में आवंटित भूमि के चार्ज/लैंड कंवरजन शुल्क इत्यादि के लम्बित मामलों को शीघ्र हल करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया ।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायत राज एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर (LP & SHG), राजस्थान सरकार द्वारा RSETI/RUDSETIs भवन निर्माण के लिये भू-आवंटन व लैंड कंवरजन शुल्क के मसलों को आगामी एस.एल.बी.सी मीटिंग से पूर्व हल कर लिये जाने का आश्वासन दिया गया ।

Financial Literacy Centers (FLCs):

राज्य में 54 FLCs केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं व इन केन्द्रों द्वारा समय-समय पर जागरूकता कैम्प, रात्री चौपाल व बैठकों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता मुहैया करवायी जा रही है।

सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में FLCCs द्वारा कुल 2151 आउटडोर एक्टिविटीज (Activities) की गयी जिनमें 169842 व्यक्तियों ने सहभागिता की ।

एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में 676 करोड़ के 8801 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण: चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 73637 खातों में कुल बकाया राशि रु.1698.55 करोड के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति(Achievment) 62284 खातों में बकाया राशि रु.1455.75 करोड रही ।

एजेण्डा क्रमांक – 9:Rajiv Rinn Yojana- Housing to Urban Poor:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा ISHUP योजना के 30.09.2013 को बन्द होने तथा इसके स्थान पर 01.10.2013 से “राजीव ऋण योजना”(Rajiv Rinn Yojana) के प्रारम्भ होने व योजना का विवरण सभी सदस्य बैंकों को पूर्व में ही प्रेषित कर दिये जाने से सूचित किया गया ।

एजेण्डा क्रमांक-10: वसूली:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि 31.03.14 को राज्य में 66947 मामले वसूली हेतु RACO ROD Act के तहत बकाया हैं । रोडा केसेज की वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों (पटवारी/गिरदावर/तहसीलदार/एस.डी.एम/जिला कलक्टर) को लक्ष्य आंशित कर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करके वसूली में सहयोग करने हेतु राज्य सरकार से आग्रह किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं तहत बकाया की वसूली स्टेट इयूज की तरह करने के लिये PDR Act में आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 11:

Dister Management Act 2005:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि National Disaster Management Authority (NDMA) ,भारत सरकार द्वारा जारी Earthquake Disaster Guidelines की अनुपालना भवन निर्माण तथा इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के वित्त पोषित मामलों में सुनिश्चित की जाये ।

SLBC Website: सभी बैंक सदस्यों से तिमाही समाप्ति के 15 कार्य दिवस में आवश्यक सूचना/आंकड़ों को एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का अनुरोध किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 12-अन्य मामले-

अध्यक्ष महोदय द्वारा अंत में सभी सदस्यों से बैंको की सभी शाखाओं में ऑन साइट एटीएम (ATM) स्थापित करने, सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को Rupaya Card जारी करने,सेवा क्षेत्र गांवों का Sub Service Area के आधार पर कवरेज करने, अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण में उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 11.06.2014 को आयोजित 121वीं बैठक में
उपस्थित सदस्यों की सूची**

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
संयोजक बैंक			
1	श्री एस.एस.मुन्दडा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	बैंक ऑफ बड़ौदा
2	श्री आर.के.गुप्ता	संयोजक,एस.एल.बी.सी.राजस्थान महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय रिजर्व बैंक			
1	डॉ.सत्येन डेविड	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री जे.के.बागड़ी	महाप्रबन्धक आर.पी.सी.डी.	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
3	श्री जे.आर.सांख्यान	उप महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
4	श्री जय प्रकाश	सहायक महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
नाबार्ड			
1	डॉ.राजेन्द्र कुमार	मुख्य महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री जे.पी.एस.बिन्द्रा	उप महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
भारत सरकार के प्रतिनिधि			
1	डॉ.आर.मल्होत्रा	प्रतिनिधि	NRLM,GOI नई दिल्ली
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि			
1	श्री खेमराज चौधरी	प्रमुख शासन सचिव	अल्पसंख्यक मामलात,राजस्थान सरकार
2	श्री राजीव सिंह ठाकुर	शासन सचिव	ग्रामीण विकास व पंचायत राज एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर (LP & SHG),
3	श्री सिद्धार्थ महाजन	विशेष सचिव(वित्त)	राजस्थान सरकार
4	डॉ.ललित दाधीच	उप निदेशक	महिला अधिकारिता,राज.सरकार जयपुर
5	श्री आर.एस.जाटोलिया	महाप्रबन्धक	ROBCFDC
6	श्री सी.एस.बेनिवाल	निदेशक	स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार
7	श्री ओ.पी.जैन	उप महाप्रबन्धक	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान सरकार(RGAVP)
8	श्री सीता रामस्वरुप	PO भामाशाह	Deptt. Of IT & C राज.सरकार
9	शीला के.चौधरी	उप निदेशक	निदेशालय, एम.एस.एम.ई,जयपुर
10	के.सी.अग्रवाल	संयुक्त सचिव	कृषि, राजस्थान सरकार
11	डा. शीतल शर्मा	अतिरिक्त निदेशक	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
12	डॉ.अतर सिंह मीणा	उप निदेशक	Horticulture,विभाग,राजस्थान सरकार
13	श्री बी.एस.जाट	ज्वाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
14	श्री रामावतार शर्मा	सहा.निदेशक आयोजना(आई.एफ.)	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार

15	श्री सुखविंदर सिंह	ASO प्लान	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
16	श्री आर. के. आमेरिया	संयुक्त निदेशक	आयुक्त उद्योग
17	श्री आर.के.लाम्बा	संयुक्त निदेशक	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
18	श्री के.पी.शर्मा	सुपरवाइजर	खादी बोर्ड
19	श्री बलधारी सिंह	निदेशक	KVIC जयपुर
20	श्री महेश सागर	N.O.	KVIC जयपुर
21	श्री श्रीनिवास मीना	प्रतिनिधि	KVIC जयपुर
22	श्री वी.पी.सिंहल	रिसर्च अधिकारी	अनु.-जनजाति राष्ट्रीय आयोग, जयपुर
23	श्री एस.एस.राजपुरोहित	प्रबन्ध निदेशक	राज.अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.
24	श्री एम.सी.मीणा	प्रबन्धक	SCDC Corporation
25	श्री आर.के.अरोडा	मैनेजिंग डायरेक्टर	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
26	श्री जे.एस.नागपाल	महाप्रबन्धक	राज.आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
27	श्री आनन्दी लाल	स्टेट प्रोजेक्ट समन्वयक	आरसेटी समन्वयक सेल(एमओआरडी)
28	श्री एस.पुष्पराज	स्टेट प्रोजेक्ट समन्वयक	आरसेटी समन्वयक सेल(एमओआरडी)
बैंक, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि			
क्र.स	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
1	श्री एन.के.अरोरा	महाप्रबन्धक	पंजाब नेशनल बैंक
2	श्री आर.सी.खुल्बे	महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3	श्री माधो राम	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
4	श्री जी.एल.मानावत	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
5	श्री चन्द्र शेखर एस.जे.	उप महाप्रबन्धक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
6	श्री बी. पोद्दार	मध्य प्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
7	श्री शिव राम	सहा.प्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8	श्री विवेक कौल	सहायक महाप्रबन्धक	युको बैंक
9	श्री बी.एल.चौधरी	वरिष्ठ प्रबन्धक	युको बैंक
10	श्री मनोज जायसवाल	उप महाप्रबन्धक एवं अंचल प्रमुख	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
11	श्री ईश्वर सिंह शेखावत	अंचल समन्वयक	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
12	श्री रजनीश पाण्डे	प्रबन्धक-FIP	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
13	डॉ. एम.एस.फोगाट	अध्यक्ष	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14	श्री आलोक तिवारी	महाप्रबन्धक	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15	श्री डी.के.जैन	सहा.महाप्रबन्धक	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16	श्री संदीप सांखला	मध्य प्रबन्धक	भारतीय महिला बैंक
17	श्री जितेन्द्र एम.	उप महाप्रबन्धक	ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
18	श्री डी.आर.वर्मा	ए.आर.एम.	ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

19	श्री रविन्द्रनाथ	सहायक महाप्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
20	श्री पी.डी.बजरोहिजा	वरिष्ठ प्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
21	श्री.ए.बालासुब्रमंयम	जौनल मैनेजर	आन्धा बैंक
22	श्री डी.पी.सिंह	सहायक महाप्रबन्धक	आन्धा बैंक
23	श्री आर.के.काला	सहायक महाप्रबन्धक	एस.एल.बी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा
24	श्री जय प्रकाश मीणा	सहायक महाप्रबन्धक	आई.डी.बी.आई. बैंक
25	श्री एम.पी.कुद्रा	सहायक महाप्रबन्धक	कॉर्पोरेशन बैंक
26	श्री अरुण कुमार जोहरि	उप महाप्रबन्धक	इलाहाबाद बैंक
27	श्री प्रकाश छबडिया	डिजिटल मैनेजर	केनरा बैंक
28	श्री अश्विन कुमार वी.	मुख्य प्रबन्धक	क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर
29	श्री पी.के.अग्रवाल	मुख्य प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेन्कोर
30	श्री आर.जे.एस.बक्शी	मुख्य प्रबन्धक	पंजाब & सिन्ध बैंक
31	श्री हरिन्दर सिंह	अधिकारी	पंजाब & सिन्ध बैंक
32	श्री राजेश इंगला	मुख्य प्रबन्धक	बैंक ऑफ इंडिया
33	श्री दीपक गुप्ता	सहायक महाप्रबन्धक	इण्डियन बैंक
34	श्री एम.आर.मीणा	मुख्य प्रबन्धक	इण्डियन बैंक
35	श्री पी.पी.सिंह	सी.आर.एम.	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
36	श्री हर्ष मेहता	मुख्य प्रबन्धक	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
37	श्री एस.एन.व्याष	जौनल मैनेजर	देना बैंक
38	श्री जौसेफ के.जे.	मुख्य प्रबन्धक	कैथोलिक सिरियन बैंक
39	अजीत किशोर	अंचल प्रमुख	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
40	श्री एस.मिश्रा	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
41	श्री एच.के.शर्मा	उप महाप्रबन्धक	फिन ग्रोथ कॉ-ऑपरेटिव बैंक
42	श्री जितेन्द्र बोदानी	वरिष्ठ प्रबन्धक	कोटक बैंक
43	श्री रंजन कुमार	मुख्य प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
44	श्री आर.के.जैसल	मुख्य प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
45	श्री एच.के.जटाना	उप महाप्रबन्धक	इण्डियन ओवरसीज बैंक
46	श्री एस.एन.मीणा	वरिष्ठ प्रबन्धक	इण्डियन ओवरसीज बैंक
47	श्री जी. सुब्रमनियम	सहायक प्रबन्धक	सिडबी
48	श्री सी.पी.गोवर	उप महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ टोक्यो
49	श्री बी.सुब्रमंयम	मुख्य प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
50	श्री एस.दायमा	डिप्टी वी.पी.	रत्नाकर बैंक
51	श्री अनुप नैयर	वरिष्ठ प्रबन्धक	धनलक्ष्मी बैंक
52	श्री एम.खान	प्रबन्धक	धनलक्ष्मी बैंक
53	श्री विनय कुमार	मुख्य प्रबन्धक	लक्ष्मी विलाश बैंक
54	श्री शक्ति सिंह	A.O.	नेशनल बीमा कम्पनी, जयपुर
55	श्री अनिल माथुर	कंसलटेण्ट	भारतीय कृषि बीमा कंपनी, जयपुर

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान
दिनांक 11.06.2014 को आयोजित 121वीं बैठक
कार्यवाही बिन्दु/रिपोर्ट(ATR)

S.No.	Issues	Action to be taken by	Action Initiated/Taken
1	To facilitate banks to create online charge on agriculture land for extending agriculture credit to farmers.	Revenue Department, OR	
2	Installation of On site ATMs	All Member Banks	
3	Amendment in PDR Act, to include the Banks' dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues	Finance / Revenue Department, GoR	
4	<u>Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs : Sub Service Area Approach:</u>	All Member Banks	
5	Updation of GIS data: DCC Convener Banks are requested to ensure updation of GIS data on GIS Portal by LDMs	DCC Convener Banks & member banks	
6	National Urban Livelihood Mission (NULM): Approval of Draft of application format developed by Local Body Deptt.GOR : Comment/Suggestions on the Draft	All DCC Convener Bank's	
7	GOR is requested for allotment land to RSETIs in the Alwar & Bharatpur Districts and early resolution of the issue of land conversion charges	Revenue Department, OR	